

प्रोफार्मा
PROFORMA

अनुभाग/प्रभाग का नाम.....

Name of the Section Division:

1. कर्मचारी का नाम & पदनाम:

Name & designation of the Employee:

2. आयु

Age:

3. शैक्षिक अर्हता:

Educational Qualification:

4. हिन्दी की योग्यता किस स्तर की है:

(पास की गई उच्चतम परीक्षा का विवरण दें।)

Upto which level studied Hindi:

(Give details of highest level of examination passed)

5. क्या उस योग्यता से यह माना जा सकता है कि उसे:

Whether this qualification can be considered as possessing:

i. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। (नियम 10 देखें)

Working knowledge of Hindi (See Rule 10)

ii. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है। (नियम 09 देखें)

Proficiency in Hindi (See Rule 09)

6. कर्मचारी की मातृभाषा:

Mother tongue of the Employee:

7. क्या हिन्दी भाषा (प्रबंध, प्रवीण, प्राज्ञ) आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है:

Whether received training in Hindi language (Prabodn, Praveen, Pragya)

/Stenography/Typing:

हस्ताक्षर

Signature

कृ.पृ.उ.

P. T. O.

नियम (9) (हिन्दी में प्रवीणता)

Rule (09) Proficiency in Hindi

कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि:-

An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if:-

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा, या उसकी कोई समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में अपना कर, उत्तीर्ण की है, अथवा

He has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or

(ख) स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा का समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हुन्दी उसका एक वैकल्पिक विषय था, अथवा

He has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or

(ग) वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

He declares himself to possess proficiency in Hindi.

नियम (10) (हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान)

Rule (09) Working knowledge of Hindi

कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उसने :-

An employee shall be deemed to have acquired working knowledge of Hindi if he has passed:-

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, अथवा

The matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subject; or

(2) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा

The Pragma examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government or when so specified by that Government in respect of any particular category of posts, any lower examination under that scheme; or

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा

Any other examination specified in that behalf by the Central Government, or

(4) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

If he declares himself to have acquired such working knowledge.